BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 अप्रैल 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध मादक पदार्थ के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त करन पुत्र कुलदीप निवासी रामबाग कॉलोनी थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ को वर्ष-2021 में थाना नरौरा पुलिस द्वारा 05 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.12.2021 को थाना नरौरा पर मुअसं- 291/21 धारा- 8बी/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.02.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-04/एनडीपीएस एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त करन को 05 वर्ष का कठोर कारावासव 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा व श्री संघमित्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर